मूल्य रू. 500/–

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

जबलपुर शहर में साँची दूध विक्रय के लिये वितरक सह परिवहनकर्त्ता नियुक्ति हेतु द्विवर्षीय अनुबंध हेतु।

निविदा प्रपत्र

(वर्ष 2018–19)

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

डेयरी संयंत्रः करौंदा नाला, इमलिया, अधारताल, जबलपुर

कस्टमर केयर नंबर– 9406900500

E-mail : jdssanchi@gmail.com.

jabalpur.sanchi@gmail.com

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर
पंजीकृत कार्यालय, करौंदा, इमलिया, कटनी रोड, जबलपुर
कस्टमर केयर नंबर–9406900500, E,mail- jdssanchi@gmail.com.
jabalpur.sanchi@gmail.com

ई–निविदा सूचना

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर संयंत्र से जबलपुर शहर के विभिन्न जोन में साँची ब्रांड दूध विक्रय हेतु इंसुलेटेड वाहन द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिये वितरक सह परिवहनकर्त्ता नियुक्त करने के लिये ई– निविदाऐं आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा प्रपत्र www.mptenders.gov.in से रू. 500/– का ऑन लाईन भुगतान क्रय किये जा सकते हैं। साथ ही ईएमडी राशि रू. 20000/– (बीस हजार मात्र) प्रति मार्ग के मान से फार्म भरने के साथ ऑन लाईन भुगतान करनी होगी। निविदा/ऑफर के साथ रू. 20000/– (बीस हजार मात्र) के ऑन लाईन भुगतान की पावती जमा करनी होगी तथा भौतिक रूप से निविदा दिनांक 28.02.2019 को अपरान्ह 3:00 बजे तक जमा होना अनिवार्य है। बिना ई.एम.डी के निविदा/ऑफर मान्य नहीं होगी। दिनांक 1.03.2019 को अपरान्ह 3:00 बजे जबलपुर मुख्यालय पर खोली जावेगी। किसी भी प्राप्त भाव/ऑफर को पूर्ण या आंशिक रूप स्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। निविदा संबंधी शर्ते एवं विस्तृत विवरण एम.पी.सी.डी.एफ. की वेबसाइट www.mpcdf.gov.in पर उपलब्ध है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,जबलपुर

करौंदानाला, इमलिया, कटनी रोड़, जबलपुर

(कस्टमर केयर नं. 9406900500)

E.mail-www.jdssanchi@gmail.com.

दुग्ध वितरक सह परिवहनकर्त्ता का कार्य आवंटन हेतु निविदा प्रपत्र

1. निविदा प्रपत्र प्राप्त एवं जमाकरने अंतिम तिथि एवं समय – 28.02.2019 दोपहर 3:00 बजे
2. निविदा खोलने की तिथि एवं समय – 1.03.2019 दोपहर 3:00 बजे
3. निविदा के साथ जमा की जाने वाली अमानत राशि– रू. 20000/–(रू. बीस हजार मात्र) प्रतिमार्ग के मान से ऑन लाईन जमा की पावती।
4. निविदा खोलने का स्थान – जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर
5. ठेके हेतु " तकनीकी अर्हताओं " का प्रारूप – प्रपत्र 01
6. ठेके की सामान्य शर्ते – प्रपत्र 02
7. " भाव पत्र/दरें " प्रस्तुत करने का प्रारूप – प्रपत्र 03

निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :–

- प्रपत्र 01 " तकनीकी अर्हताऐं " का तथा प्रपत्र 02 " निविदा की शर्ते " बंद लिफाफे में प्रस्तुत की जावे एवं लिफाफे पर प्रपत्र 1 एवं प्रपत्र 2 " तकनीकी अर्हताऐं " लिखा जावे।
- प्रपत्र क. 03 "भाव पत्र/दरें" पृथक से बंद लिफाफे में प्रस्तुत की जावे एवं लिफाफे पर " भाव पत्र/दरें" लिखा जावे।
- उक्त दोनों बंद लिफाफे एक साथ एक अन्य लिफाफे में बंद कर प्रस्तुत किये जावें।
- निविदा में उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी।

प्रपत्र क.–1

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
जबलपुर

महोदय,

साँची दूध वितरक सह परिवहनकर्त्ता कार्य हेतु दिनांक ————————— को —————————— में प्रकाशित निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्ते एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिये गये हैं। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः मैं एतद् द्वारा अमानत राशि रू. 20000/– (बीस हजार मात्र) प्रति मार्ग के मान से ऑन लाईन जमा की पावती क. —————————— दिनांक ——————— संलग्न कर रहा हूँ अथवा जबलपुर दुग्ध संघ कार्यालय में रसीद क. ——————— दिनांक ———— से नगद जमा की है।

तकनीकी अर्हताऐं

क.	आवश्यक अर्हता	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
1.	निविदाकार का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्त्ता कार्यालय कापत्र/प्रमाणपत्र
2.	टेक्नीकल बिड में सफल होने के लिये निविदाकार को निम्न अर्हताऐं अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।	अर्हता की पूर्ति हेतु साक्ष्य रूप में निम्न सभी अनिवार्य दस्तावेज टेक्नीकल बिड में प्रस्तुत करना होंगे, अन्यथा टेक्नीकल बिड निरस्त की जावेगी।	बिन्दु क. 5 से 10 का तक दस्तावेज संलग्न रें।
.3.	अपना परिचय व विवरण उदघोषित करना होगा। स्वामित्व/फर्म/भागीदारी/कंपनी की ओर निविदा भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत हो।		निविदाकार का परिचय व संक्षिप्त विवरण हेतु इस दस्तावेज के प्रपत्र को पूर्ण भर कर अपलोड कर प्रस्तुत करें। फर्म/कंपनी की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र/मुख्तारनामा की मूल प्रति जो नोटरी द्वारा सत्यापित व प्रमाणित हो। स्वामी/प्रोपराईटर द्वारा स्वयं निविदा भरने की स्थिति में आवश्यक नहीं है।
4.	निविदाकार स्वामित्व (प्रोपराईटर	निविदाकार स्वामित्व	

	शिप) की स्थिति में (मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अन्तर्गत) भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनर शिप एक्ट के अन्तर्गत एवं कंपनी की स्थिति में कंपनी के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिये।	प्रोपराईटर शिप) की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अन्तर्गत/भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनर शिप एक्ट के अन्तर्गत एवं कंपनी की स्थिति में कंपनी के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण–प्रत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति।	
5.	तकनीकी बिड के साथ निर्धारित ई.एम.डी. राशि प्रति मार्ग के मान से ऑन लाईन जमा होना चाहिये।		तकनीकी बिड के साथ निर्धारित ई.एम.डी. राशि जमा हो।
6.	निविदाकर्त्ता का पेन कार्ड नंबर होना अनिवार्य है।		छायाप्रति/आवेदन में संलग्न करें।
7.	उपलब्ध वाहन का प्रकार		उपलब्ध वाहन के पंजीयन की प्रति लगायें।
8.	बैंक खाता क्रमांक		बैंक स्टेट मेन्ट की एक वर्ष की छायाप्रति लगावें।
9.	वित्तीय वर्ष 2017–18(कर निर्धारण वर्ष 2018–19) जी.एस.टी. का रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण		आयकर विभाग में रिटर्न जमा करने की पावती एवं रिटर्न की कापी
10.	जी.एस.टी. नंबर		छायाप्रति/आवेदन में संलग्न करें।
11.	एफ.एस.एस.ए.आई. लायसेंस		लायसेंस/आवेदन की छायाप्रति।
	निविदा शुल्क जमा किया हो।		निविदा फार्म क्रय किये जाने/वेबसाईट से डाउन लोड किये जाने की स्थिति में निविदा फार्म के शुल्क की ई–पेमेन्ट के माध्यम से कर सकता है।
12.	वारिस का नाम एवं उनसे संबंध		वारिस का नाम का शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
13.	वाहन का प्रकार	महिन्द्रा पिकअप/टाटा 407 या समकक्ष	

क्रमशः..............2

नोटः– 1. उक्त समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है तथा निविदा खोले जाने के समय मूल दस्तावेजों से सत्यापित कराना अनिवार्य है।

2. निविदा संपन्न होने पर वाहन में जीपीएस सिस्टम एवं इंश्युलेटेड वाहन होना अनिवार्य है।

3. तकनीकी अर्हताओं संबंधी प्रपत्र क्रमांक 1, निविदा की शर्ते प्रपत्र क्रमांक–2 एक साथ एक लिफाफे में एवं निविदा दर संबंधी प्रपत्र 3 एक सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगी। तकनीकी अर्हता पूर्ण करने वाले निविदाकारों की निविदा दर संबंधी लिफाफा खोला जायेगा।

उपरोक्त 12 जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।

हस्ताक्षर ——————————————

नामः– ——————————————

पताः– ——————————————

टेलीफोन नंबर ————————————

मोबाईल नंबर ————————————

प्रपत्र क.–2

जबलपुर शहर में साँची दूध वितरक सह परिवहनकर्त्ता हेतु निविदा की आवश्यक शर्ते

1. जबलपुर शहर में 11 जोनों में एक–एक वितरक सह परिवहनकर्त्ता नियुक्त किया जाना है। इसके लिये निविदाकार को आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज फोटो, आई.डी. प्रूफ लगाना एवं मार्गवार सूची में दर्शायी गई ई.एम.डी. राशि रूपये 20000/– प्रति मार्ग के मान से ऑनलाईन जमा की पावती लगाना अनिवार्य है। जिसके आभाव में निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। एक निविदाकार द्वारा एक से अधिक मार्गो हेतु निविदा प्रस्तुत की जा सकती है परन्तु सभी के साथ पृथक–पृथक ई.एम.डी. राशि जमा करना अनिवार्य है।
2. वितरक सह परिवहनकर्त्ता को शहर में अपने कार्यक्षेत्र में एक कार्यालय खोलना होगा तथा इस कार्यालय में समस्त आवश्यक विपणन संबंधी अधोसंरचना स्थापित करना होगी ।
3. वितरक सह परिवहनकर्त्ता को कार्य प्रारंभ करने पर गतवर्ष समान अवधि से न्यूनतम 20 प्रतिशत की वृद्धि विक्रय करनी होगी। अन्यथा संक्षिप्त समीक्षा कर वितरक सह परिवहनकर्त्ता का कार्य समाप्त किया जा सकेगा।
4. दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह परिवहनकर्त्ता को दूध वितरण करने तथा समस्त विक्रय केन्द्रों से पृथक–पृथक मांग प्राप्त कर समेकित रूप से प्रस्तुत करने तथा दूध की राशि प्राप्त करने के लिए ***50 पैसे प्रतिलीटर*** का वितरक मार्जिन दिया जायेगा। तथा दुग्ध संघ द्वारा रिटेलरों या उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले मार्जिन, अग्रिम कार्ड छूट या अन्य प्रोत्साहन योजना को यथावत् पास ऑन करना होगा।
5. डेयरी संयंत्र, जबलपुर से वितरक सह परिवहनकर्त्ता को संबंधित मार्ग में स्थित ऑफिस/गोडाउन एवं वहां से सभी दुग्ध विक्रय केन्द्रों तक की परिवहन व्यवस्था एवं वहा से केटें वापस जबलपुर संयंत्र पर दैनिक रूप से जमा करने हेतु प्रति लीटर दूध के लिये परिवहन व्यय के लिये निविदा में दरें प्रस्तुत करनी है। 50 पैसे प्रतिलीटर वितरक मार्जिन परिवहन व्यय के अतिरिक्त दुग्ध संघ द्वारा देय होगा।
6. वितरक सह परिवहनकर्त्ता द्वारा दूध विक्रय के लिए प्रारंभ में निम्न विवरण अनुसार नगद/दुग्ध संघ के नाम से न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि हेतु मान्य बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति मद में जमा करने होगें, दुग्ध विक्रय में वृद्धि होने पर 5 दिन की दुग्ध विक्रय मात्रा की धनराशि के समतुल्य प्रतिभूति राशि के लिए अतिरिक्त प्रतिभूति संघ में जमा करनी होगी :–

क्र.	मार्ग का विवरण	किमी. लगभग	औसत विक्रय मात्रा ली. /दिन (लक्ष्य)	प्रतिभूति राशि रूपये
1.	<u>महाराजपुर–व्हीकल–कंचनपुर मार्ग</u>–महाराजपुर, सुहागी, सुभाष नगर, अधारताल, जयप्रकाश नगर, आनंद नगर, रद्दी चौकी, नेता कॉलोनी, शोभापुर, व्हीकल, रिछाई, मड़ई, व्हीकल मोड़, गंगा मैया, सीओडी कॉलोनी, पटैल नगर, हाउसिंग बोर्ड, न्यू कंचनपुर, पुराना कंचनपुर, विवेक कॉलोनी, संजय नगर, निर्भय नगर, अंबेडकर कॉलोनी, बिलपुरा, शोभापुर, सेक्टर 2, विभाबार, व्हीकल बार।	50	1500	150000/–
2.	<u>विजय नगर ग्रीन सिटी मार्ग</u>–कटंगी बाईपास, स्टार सिटी, दद्दा नगर, मदर टेरेसा, करमेता, बाईपास	60	1200	150000/–

	पाटन, विजयनगर, दीनदयाल चौक, आरटीओ ऑफिस, शिवनगर, त्रिमूर्ति नगर, चेरीताल, उखरी चौक, शान्तिनगर, अमखेरा, गोहलपुर, संगम कॉलोनी, ग्रीन सिटी मढौताल।			
3.	कॉंचघर–सिविल लाईन मार्ग–रद्दी चौकी, घमापुर, बाई का बगीचा, कॉंचघर, सेन्ट्रल जेल, सिविल लाईन, चारखम्बा, नूरीनगर, सिद्धबाबा, बडी ओमती, बाबाटोला, मदार टेकरी, ब्यौहार बाग, शीतलामाई, राम मंदिर, भान तलैया, गुरंदी, फूटाताल, बेलबाग, पनेहरा, गलगला, यूनिवर्सिटी, रिज रोड, डुमना, हितकारणी कॉलेज,	80	800	100,000
4.	सिटी मार्ग–दमोहनाका, मिलौनीगंज, बडा फुआरा, घंटाघर लार्डगंज, गढाफाटक, सिविक सेन्टर, यादव कॉलोनी, स्नेह नगर, होमसाइंस, राईटटाउन, नेपियर टाउन, प्रेममंदिर, गोलबाजार, रानीताल, तमरहाई, चरहाई, पत्रकार कॉलोनी, रानीताल, मदनमहल थाना, राईटटाउन स्टेडियम, मानस भवन, नगर निगम, श्रीनाथ की तलैया, सुपर मार्केट।	65	800	100000
5.	मेडीकल मार्ग–मदनमहल सब्जीमंडी, महानद्या, हाथीताल, गुप्तेश्वर, सैनिक कॉलोनी, रतन नगर, शक्ति नगर, प्रेम नगर, एलआईसी, शारदा चौक, त्रिपुरी चौक, गढा, अमनपुर, गुलौआ चौक, कछपुरा, गौतम जी की मढिया, शास्त्री नगर, गंगानगर, डॉ. कॉलोनी, धन्वतरी नगर, भूकम्प कॉलोनी, मेडीकल, तिलवारा, पुरवा, पिसनहारी की मढिया, ज्ञानगंगा स्कूल, ज्ञानगंगा कॉलेज।	70	1600	150000
6.	बिलहरी–तिलहरी मार्ग– वेटनरी एम्पायर, बीएसएनएल कॉलोनी, पहलवान बाबा, गोराबाजार, भोंगाद्वार, करजरवारा, बिलहरी, तिलहरी, गौर नदी, भारत तिब्बत पुलिस, सदर, मोदीबाडा, हाउबाग, गोरखपुर, छोटी लाईन फाटक, हवाबाग।	60	900	100000
7.	रामपुर–ग्वारीघाट मार्ग–रामपुर चौक, नयागाँव छापर, एमपीईबी कॉलोनी, ब्रजमोहन नगर, टैगोर नगर, आदर्श नगर कॉलोनी, पंचशील नगर, पोलीपाथर, बाइशाह हलवाई, पुरानी पी. पी. कॉलोनी, न्यू पी. पी. कॉलोनी, भीम नगर, आस्था कॉलोनी, पुरानी ग्वारी, ललपुर, हीरा मार्केट, ग्वारीघाट, शंकरशाह नगर, बिग बाजार।	70	1100	125000
8.	हाईकोर्ट–भंवरताल मार्ग–कलेक्ट्रेट ऑफिस, हाईकोर्ट, तैयाब अली पेट्रोल पंप, इनकम टैक्स ऑफिस, 2 नं. पुल, डॉ. बराट रोड़, चौथा पुल, नया मुहल्ला, इन्द्रा मार्केट, एल्गिन हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेडियम, नागरथ चौक, जबलपुर हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, नवीन विद्या भवन, भंवरताल, गोल्डन कॉलोनी, शास्त्री ब्रिज।	50	700	100000
10.	खमरिया–जी.सी.एफ.मार्ग–खमरिया फैक्ट्री, जीसीएफ फैक्ट्री, जीआईएफ, व्हीकल फैक्ट्री संस्था।	45	800	100000
11.	पनागर मार्ग–इमलिया परियट, पनागर, केईसी, फैक्ट्री देवरी पनागर, कमानियां गेट, संपूर्ण पनागर।	40	600	100000

12	<u>तिलवरा–बरगी मार्ग</u>–बरगी बांध, बरबटी, एकलव्य छात्रावास, रॉयल स्कूल, बरगी नगर, तिलवारा संपूर्ण क्षेत्र ।	130	1000	125000

मार्गवार विक्रय केन्द्रों की जानकारी दुग्ध संघ की विपणन शाखा से किसी भी कार्य दिवस में ली जा सकती है।

7. वितरक सह परिवहनकर्त्ता को दैनिक रुप से दुग्ध विक्रय के विरुद्ध राशि संबंधित दुग्ध विक्रय केन्द्रों से स्वयं वसूल करना होगी ।

8. दूध की धनराशि नियमित रूप से दुग्ध संघ के खाते में जमा कराने के लिये दुग्ध संघ के पक्ष में अग्रिम रूप से भारतीय स्टेट बैंक/आई.डी.बी.आई. बैंक के चेक उपलब्ध कराने होंगे, प्रत्येक दिन की प्रदायगी की मात्रा की धनराशि का चेक उसी दिन भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत किया जावेगा।

9. वितरक सह परिवहनकर्त्ता द्वारा धनादेश अनादरित करने पर एमपीसीडीएफ द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार पेनाल्टी की कार्यवाही दुग्ध संघ द्वारा की जावेगी जो कि वितरक सह परिवहनकर्त्ता पर बंधनकारी होगी।

10. दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह परिवहनकर्ता को कार्य प्रारंभ करने पर विक्रय मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए क्रेटस प्रदाय की जाएंगी जिसके लिए वर्तमान क्रेट क्रय दर के आधार पर न्यूनतम रू. 50,000/– तथा विक्रय में वृद्धि होने पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त विक्रय अनुमान की दुगनी राशि नगद दुग्ध संघ में बतौर क्रेट प्रतिभूति जमा करनी होगी। जिसे कार्य समाप्त होने पर संपूर्ण क्रेट जमा अथवा कम जमा की गई क्रेटों की तत् समय प्रभावशील क्रेट क्रय दर के आधार पर धनराशि कटोत्रा कर बिना ब्याज के दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह परिवहनकर्ता को वापस किया जा सकेगा।

11. वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा जितने क्रेट दूध प्रदाय हेतु लिये जाऐगें उतने ही क्रेट दैनिक रुप से संघ में जमा करना अनिवार्य होगा। क्रेटों का मिलान मासिक रुप से संघ स्तर पर किया जाऐगा। जितने भी क्रेट्स वितरक सह परिवहनकर्ताओं द्वारा एक माह में कम जमा किये जाऐगें उनकी राशि तत्समय क्रेट की लागू क्रय दर से गणना कर परिवहन देयकों से कटोत्रा कर ली जाऐगी। जो किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं होगी।

12. वितरक सह परिवहनकर्ता को दूध की मांग दैनिक रुप से दिन के 11 बजे तक संघ को अवगत कराना होगी । इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में यदि मांग में वृद्धि की जानी है तो वितरक सह परिवहनकर्ताओं कार्यालय से सहमति लेने के उपरांत ही मांग की पुष्टि कर सकेगा। संघ स्तर से पूरे प्रयास किये जाऐगें कि वितरक सह परिवहनकर्ताओं को मांग अनुसार दूध प्रदाय किया जा सके किंतु किन्हीं अपरिहार्य कारणों से यदि संघ द्वारा मांग अनुसार दूध प्रदाय नही किया जा रहा है तो उपयुक्त कारण होने से बाध्यता संघ की नही रहेगी ।

13. **“वितरक सह परिवहनकर्ता को दुग्ध विपणन व्यवस्था इन्सुलेटेड वाहन के माध्यम से करना होगी जिससे की दूध की गुणवत्ता में किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव परिलक्षित न हो।”**

14. वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर वितरण वाहनों को संघ द्वारा निर्धारित डिजाइन से पेंट अथवा विनाइल फ्लेक्स लगावाना आवश्यक होगा ।

15. किसी भी वाहन के खराब होने, दुर्घटनाग्रस्त होने या अन्य कोई कमी होने के कारण वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था स्वयं को अपने स्तर से करना अनिवार्य होगा।

16. संघ स्तर से दूध की बिलिंग परिवहन व्यय विक्रेता का मार्जिन काटकर ही की जाएंगी एवं वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा रिटेलर/फुटकर विक्रेता का मार्जिन कम कर ही

फुटकर विक्रेता से राशि प्राप्त की जाएगी। इस प्रकार वितरक सह परिवहनकर्ताओ एवं फुटकर विक्रेता को दैनिक रुप से उनके द्वारा विक्रय किये गये दूध का मार्जिन प्राप्त हो सकेगा।

17. यदि दुग्ध संघ द्वारा संस्थाओं को सीधे दूध प्रदाय किया जाता है तो दूध की मात्रा पर वितरक मार्जिंन नहीं दिया जायेगा अर्थात केवल स्वीकृत दरों पर परिवहन व्यय ही दिया जाएंगा। इस हेतु संबंधित संस्थाओं से प्रदायित मात्रा सत्यापित करवाकर देयक के साथ प्रस्तुत करनी होगी। यदि दुग्ध संघ द्वारा प्रदायित मात्रा तथा संस्था को प्राप्त मात्रा में कोई भिन्नता/कमी होती है तो कम मात्रा की धनराशि परिवहन देयको से काट ली जाएंगी।

18. वितरक सह परिवहनकर्ता को प्रदायगी हेतु उठाई जाने वाली दूध मात्रा की धनराशि जमा करने के लिए **"जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित जबलपुर"** के नाम एकाउण्ट पेई रेखांकित एवं हस्ताक्षरित सीटीएस. चैक भुगतान हेतु प्रदायगी से एक दिन पूर्व दुग्ध संघ को उपलब्ध कराना होगा, या आर.टी.जी.एस. द्वारा भी दुग्ध संघ के खातें में धनराशि जमा कर साक्ष्यस्वरूप जमा स्लिप दुग्ध संघ को उपलब्ध कराई जा सकती है।

19. अ) वितरक सह परिवहनकर्ताद्वारा प्रदाय चेक माह में तीन अथवा उससे अधिक बार अनादरित होते है तो संक्षिप्त समीक्षा कर सुपर स्टॉकिस्ट सह परिवहनकर्त्ता का कार्य आवंटन निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जाएगी।

(ब) किन्हीं भी कारणों से वितरक सह परिवहनकर्त्ता को कार्य छोड़ने हेतु एक माह (30 दिवस) का नोटिस देना अनिवार्य है। इसी प्रकार जबलपुर दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह परिवहनकर्ता को 30 दिवस का नोटिस देकर बिना कोई कारण बताए हटाया जा सकेगा।

20. वितरक सह परिवहनकर्ता के पास पैनकार्ड नम्बर, टिन नम्बर, सर्विस टैक्स नम्बर, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुसार एफ.एस.एस.ए.आई.लाइसेंस तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 का आयकर रिटर्न/बैंक व्यवहारों का विवरण एवं दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ/एफएमसीजी वितरण/विपणन संबंधी अनुभव होना अनिवार्य है। कार्य आवंटन के पूर्व पार्टी द्वारा संघ को यह अवगत कराना आवश्यक होगा कि आवंटित कार्य सक्षमता से पूर्ण करने हेतु उसके पास उपयुक्त मात्रा में परिवहन व्यवस्था हेतु इंसुलेटेड वाहन/गोडाउन/डीपफ्रीजर/स्टाफ/संचार व्यवस्था/सुदृढ़ वित्तीय स्थिति आदि उपलब्ध है ।

21. निविदा की शर्तों/अनुबंध में वर्णित शर्तो के उल्लघंन पर वितरक सह परिवहनकर्ता को बिना किसी पूर्व सूचना के संघ द्वारा हटाया जा सकेगा एवं यदि संघ उचित समझेगा तो वितरक सह परिवहनकर्ता की अमानत राशि भी राजसात कर सकेगा।

22. वितरक सह परिवहनकर्ता की कार्यावधि प्रथमतः दो वर्ष होगी एवं कार्य संतोषप्रद होने पर आगामी एक–एक वर्ष कर अधिकतम तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।

23. शहर में समय–समय पर आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रम, मेला, प्रदर्शनी आदि आयोजनों में लगने वाले दूध की मांग यदि संघ को प्राप्त होती है तो संघ द्वारा निर्धारित विशेष रियायती दरों पर दूध प्रदाय किया जाएगा जिसकी राशि सीधे दुग्ध संघ द्वारा प्राप्त की जाएगी। ऐसी प्रदायगियों पर वितरक सह परिवहनकर्त्ता को दिया जाने वाला मार्जिंन देय ना होकर केवल परिवहन व्यय देय होगा। परन्तु यदि पार्टी द्वारा स्वयं की परिवहन व्यवस्था से दूध डेयरी संयंत्र से उठाया जाता है, तो ऐसी प्रदायगियों पर वितरक सह परिवहनकर्ता को कोई धनराशि देय नहीं होगी।

24. **(अ)** वितरक सह परिवहनकर्ता को संपूर्ण अथवा कुछ क्षेत्रों में किन्ही विपरीत परिस्थितियों जैसे शहर बन्द, हड़ताल आदि अवसरों पर दूध की प्रदायगी अपनी जिम्मेदारी पर अनिवार्य रूप से करनी होगी।

(ब) दुग्ध संघ शहर के किसी भी नवीन क्षेत्र में संस्थागत या रिहायशी क्षेत्र विकसित होने पर अतिरिक्त वितरक नियुक्त करने अथवा क्षेत्र को पुर्नसंगठित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसा करने पर किसी भी वितरक सह परिवहनकर्त्ता को आपत्ति दर्ज करने का अधिकार नहीं होगा।

25. कार्य आवंटन उपरान्त अनुबंध अवधि में यदि वितरक सह परिवहनकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में कार्य को आगे जारी रखने एवं समस्त दायित्वों का निर्वहन करने के लिये वितरक सह परिवहनकर्ता को विधि अनुसार वारिस नामित करना होगा। इसके लिए वितरक सह परिवहनकर्ता को वारिस के फोटो एवं उनसे सम्बंध आदि सम्पूर्ण विवरण का नोटरी सत्यापित किया हुआ शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

26. वितरक सह परिवहनकर्ता को दुग्ध वितरण हेतु जनवरी 2016 अथवा उसके बाद के पंजीकृत इंसुलेटेड वाहन ही उपयोग करने होगें, जिसके लिए वाहन के पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्य प्रतिलिपि निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

27. निविदाकार के पास स्वयं के वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि निविदाकार द्वारा किराये का वाहन लगाया जाता है तो तत्संबंध में अनुबंध की छायाप्रति संलग्न करना होगी एवं यदि निविदाकार द्वारा नये वाहन हेतु दरें प्रस्तुत की जाती है तो दरें स्वीकृत होने के एक माह की अवधि में नया वाहन क्रय एवं तापरोधी करवाकर उपलब्ध कराना होगा, अन्यथा कार्य आवंटन स्वतः निरस्त माना जाएंगा।

28. वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा वितरण कार्य में लगाए गए वाहन को बिना दुग्ध संघ की स्वीकृति के विक्रय करना अथवा अन्यत्र अनुबंधित करना प्रतिबंधित होगा।

29. वितरक सह परिवहनकर्ता को दूध प्रदाय करते समय प्रत्येक दृष्टि से उसकी जांच परख सुनिश्चित् करना होगा, प्रदाय होने के पश्चात् लीकेज/कम मात्रा अथवा क्रेट की जवाबदारी वितरक सह परिवहनकर्ता की होगी।

30. वितरक सह परिवहनकर्ता को दुग्ध संघ की निर्धारित शर्तों के अनुसार रू. 1000 के नॉन ज्यूडीशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा तथा वितरक सह परिवहनकर्ता का कार्य आवंटन अहस्तान्तरणीय होगा।

31. दुग्ध संघ को किसी भी वितरक/संस्था/होटल/कैन्टीन शादी समारोह में सीधे भी दूध प्रदाय करने का अधिकार होगा।

32. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर दुग्ध संघ को होगा।

33. प्राप्त निविदाओं की समीक्षा गठित चयन समिति द्वारा की जाएंगी एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा निर्णय अंतिम एवं समस्त निविदाकारों पर बंधनकारी होगा।

34. अनुबंधित अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार वितरक सह परिवहनकर्त्ता की परिवहन दरों में वृद्धि/कमी अनुपातिक दर से की जावेगी। इसकी गणना मार्ग की दूरी/वाहन का प्रकार (टाटा ऐस/टाटा 407 औसतम 10 किमी., टाटा 608/709 आयसर औसतन 6 किमी.) के आधार पर की जावेगी।

35. निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर निविदाकार की जमा अर्नेस्ट मनी राजसात कर ली जाएंगी।

36. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। न्यायिक प्रकरण की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जबलपुर रहेगा ।

मेरे द्वारा साँची दूध वितरक सह परिवहनकर्ता हेतु आवेदन एवं उसकी समस्त शर्तें पढ़ एवं समझ ली गई है तथा मैं सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हूँ/हैं। निविदा में दी गई समस्त जानकारियाँ पूर्णतः सत्य हैं। यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत कोई भी जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मै बिन्दु क्र. 01 से 36 तक वर्णित शर्तों का पालन नहीं करता हूँ तो मेरी अर्नेस्ट मनी राजसात करने एवं जबलपुर दुग्ध संघ द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रकार का निर्णय लिया जाता है तो उसको मानने के लिए मैं अपनी सहमति देता हूँ।

दिनांक .... **हस्ताक्षर**

निविदाकार का नाम...

प्रपत्र क्र.–3

भाव पत्र/दरें

आवेदित जोन ——————————

नवीन पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा करें

1. आवेदक का नामः ——————————————————————————
2. शैक्षणिक योग्यताः ——————————————————————————
3. पिता/पति का नामः ——————————————————————————
4. पत्र व्यवहार का पता (प्रमाण सहित) : ——————————————————————————
——————————————————————————————————————

दूरभाष क्र. ——————————— मोबाईल क्र.————————————
पैन कार्ड नंबर ——————————————————————

5. आवेदक/फर्म का नाम/यदि फर्म पार्टनर ——————————————————
शिप है तो पार्टनर शिप फर्म ——————————————————————————
पूर्ण जानकारी देना अनिवार्य है।
(दस्तावेजों की छायाप्रति सहित) ——————————————————————————

6. वर्तमान व्यवसाय : ——————————————————————————————————
7. वर्तमान व्यवसाय का टर्न ओवर (दस्तावेजी प्रमाण पत्र संलग्न करें) ————————
8. वित्तीय स्थिति (बैंक खाता क्रं.————————————— चल/ अचल संपत्ति का ब्यौरा
———————————— बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं में जमा राशि ————————————
गत वर्ष आयकर का विवरण ——————————————————————————————
——————————————————————————————————————

9.. वाहन व्यवस्था (स्वयं का वाहन होना आवश्यक है) वाहन के पंजीयक की छायाप्रति संलग्न करें अथवा विवरण दें ——————————————————————————————
——————————————————————————————————————

10. धरोहर राशि हेतु ऑनलाईन पावती. क्र.——————————दिनांक—————— रू ——————संलग्न है।.

11 मेरे द्वारा जबलपुर डेयरी संयंत्र से जोन क्रमांक——————————— में साँची दुग्ध वितरक सह परिवहनकर्त्ता एवं क्रेट वापसी की दरें निम्नानुसार हैं :

क्र.	दूध वितरण व्यवस्था	इंसुलेटेड वाहन से दुग्ध विपणन करने की दर रू./लीटर	
डेयरी संयंत्र, जबलपुर से निम्नलिखित जोन में दूध वितरण एवं वहां क्रेट वापसी हेतु दरें रू./लीटर		अंको में	शब्दों में
1.	महाराजपुर–व्हीकल–कंचनपुर मार्ग (जोन) –	ऑनलाईन	ऑनलाईन
2.	विजय नगर ग्रीन सिटी मार्ग(जोन)–	ऑनलाईन	ऑनलाईन
3.	काँचघर–सिविल लाईन माग(जोन)–	ऑनलाईन	ऑनलाईन
4.	सिटी माग(जोन)–	ऑनलाईन	ऑनलाईन
5.	मेडीकल माग(जोन)–	ऑनलाईन	ऑनलाईन
6.	बिलहरी–तिलहरी मार्ग(जोन)–	ऑनलाईन	ऑनलाईन
7.	रामपुर–ग्वारीघाट मार्ग(जोन)–	ऑनलाईन	ऑनलाईन
8.	हाईकोर्ट–भंवरताल मार्ग(जोन) –	ऑनलाईन	ऑनलाईन
10.	खमरिया–जी.सी.एफ.माग(जोन) –	ऑनलाईन	ऑनलाईन
11.	पनागर मार्ग(जोन)–	ऑनलाईन	ऑनलाईन
12	तिलवारा–बरगी मार्ग(जोन)–	ऑनलाईन	ऑनलाईन

–निविदाकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत *परिवहन व्यय रूपये प्रतिलीटर के आधार पर न्यूनतम दर प्रस्तुतकर्त्ता हेतु चयनित किया जायेगा। परिवहन व्यय के अतिरिक्त 50 पैसे प्रति लीटर का वितरक मार्जिन देय होगा।*

दिनांक ––––––––––––

आवेदक के हस्ताक्षर ––––––––––
पूरा नाम –––––––––––––––––––

वितरक सह परिवहनकर्त्ता अनुबंध

यह अनुबंध आज दिनांक –––––––––––को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर जिसे आगे जबलपुर दुग्ध संघ के नाम से संबोधित किया जायेगा एवं –––––––––––––––––––––––––––––––––से बतौर साँची दूध के वितरक सह परिवहनकर्त्ता की हैसियत से दुग्ध संघ द्वारा –––––––––– शहर में साँची दूध

विक्रय के लिये **दिनांक ———— से दिनांक ———— तक** की अवधि के लिये अनुबंधित कर हस्ताक्षरित किया गया है। जिन्हें आगे बतौर वितरक सह परिवहनकर्त्ता नाम से संबोधित किया जायेगा। इस अनुबंध के तहत् निम्नलिखित शर्तो के अधीन दुग्ध संघ व वितरक सह परिवहनकर्त्ता कार्य संपादित करेंगे।

1. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से अस्थाई एवं व्यावसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत् वितरक सह परिवहनकर्त्ता को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ का होगा। यदि वितरक सह परिवहनकर्त्ता इस अनुबंध के तहत कार्य करना नहीं चाहता है तो उसे दुग्ध संघ को एक माह की लिखित अग्रिम नोटिस कार्य छोडने बावद् देना होगा।
2. वितरक सह परिवहनकर्त्ता कार्य के लिये कार्य आवंटन के उपरांत 10 दिवस अंदर निम्नानुसार सिक्योरिटी राशि दुग्ध संघ में जमा करनी होगी —

   (अ) दूध विक्रय के लिये पाँच दिवस के विक्रय मात्रा की धनराशि के बराबर धनराशि, प्रारंभ में रू. ————लाख/नगद अथवा बैंक गारंटी जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर के पक्ष में देनी होगी, विक्रय मात्रा वृद्धि पर सिक्योरिटी राशि में तदानुसार वृद्धि की जावेगी।

   (ब) क्रेट मद में रू. पचास हजार नगद दुग्ध संघ में जमा करना होंगे जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
3. वितरक सह परिवहनकर्त्ता द्वारा संघ में जमा की गई सुरक्षा निधि, कार्य अवधि पूर्ण होने पर तथा संघ को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद सुरक्षा निधि वापस करने की कार्यवाही की जावेगी।
4. वितरक सह परिवहनकर्त्ता को संघ में पंजीयन (वेन्डर रजिस्ट्रेशन) कराना होगा। जिस हेतु उसे संघ कार्यालय में रू. 100/— जमा कर रसीद प्राप्त करनी होगी।
5. वितरक सह परिवहनकर्त्ता दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित वितरक सह परिवहनकर्त्ता मूल्य पर साँची दूध एक्स डेयरी डॉक पर उसकी मांग अनुसार विपणन हेतु प्राप्त करेगा, किन्तु कतिपय कारणों से जैसे पावर सप्लाई में गडबडी दुग्ध संयंत्र की यांत्रिकी गडबडी से मटेरियल (दुग्ध व अन्य पैकेजिंग सामान आदि) की अनुपलब्धता, हडताल, भूकम्प आदि की स्थितियों में यदि दुग्ध संघ वितरक की मांग अनुसार उसे साँची दुग्ध उपलब्ध नहीं करा पाता है तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा किसी भी तरह के हर्जाना आदि नहीं दिया जायेगा।
6. वितरक सह परिवहनकर्त्ता दूध जबलपुर दुग्ध संयंत्र से निर्धारित समय पर प्राप्त करना होगा। दूध प्राप्ति के समय गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण करने हेतु नियमित रूप से अपना प्रतिनिधि जबलपुर डेयरी डॉक पर रख सकते हैं। दुग्ध प्रदायगी के पश्चात् दुग्ध संघ गुणवत्ता एवं मात्रा के लिये जवाबदेह नहीं होगा तथा ना ही वापसी मान्य की जावेगी।
7. वितरक सह परिवहनकर्त्ता डेयरी डॉक से प्राप्त किय गये साँची दूध का वितरण कार्य सिर्फ इन्सुलेटेड वाहन द्वारा ही करेंगे।
8. डेयरी परिसर में स्वच्छता बनाये रखने के लिये वितरण वाहनों की साफ—सफाई संयंत्र परिसर के बाहर करेंगे। डेरी संयंत्र में ऐसा करते पाये जाने पर रू. 500/— का अर्थदण्ड लगाया जायेगा।
9. वितरक सह परिवहनकर्त्ता के प्रतिनिधि, डेयरी संयंत्र के प्रतिबंधित क्षेत्र यथा लैब, कोल्ड स्टोर, संसाधन, पैकेजिंग कक्ष में नहीं जावेंगे। प्रतिबंधित क्षेत्र में पाये जाने पर संघ जो भी दण्ड तय करेगा वह वितरक को मान्य होगा।

10. वितरक सह परिवहनकर्त्ता की आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में संघ उसके विधि सम्मत मान्य उत्तराधिकारी से समस्त वसूली करने हेतु स्वतंत्र होगा एवं उत्तराधिकारी को उस स्थिति में समान कार्य हेतु नियुक्त कर सकता है, यदि वह उत्तराधिकारी संघ के निर्धारित शर्तो का पालन करने हेतु सहमति देता है। उत्तराधिकारी का नाम अनुबंध पत्र के निष्पादन के समय नामिनेशन प्रदान किया जाना आवश्यक है।
11. संघ डेयरी डॉक पर पैकेट में दूध क्रेट के माध्यम से देगा। जिसे निर्धारित समय में वितरक सह परिवहनकर्त्ता को उठाना होगा। डेयरी डॉक पर वितरक सह परिवहनकर्त्ता छांट कर दूध का पैकेट लेगा एवं विक्रय एजेन्ट को अच्छे पैकेट देगा। दुग्ध वितरण के उपरांत कोई भी कटे–फटे या अच्छे पैकेट वापस नहीं लिया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अनुमोदन के उपरांत ही ऐसे पैकेट वापस लिये जायेंगे।
12. वितरक सह परिवहनकर्त्ता को वाहन में वाहन चालक के अतिरिक्त एक लेबर लोडिंग/अनलोडिंग हेतु आवश्यक रूप से रखना होगा।
13. वितरक सह परिवहनकर्त्ता को वाहन चालक एवं लेबर का नाम व पता संघ को लिखित में सूचित करना होगा एवं इनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाना आवश्यक होगा।
14. संघ द्वारा किसी भी वाहन चालक व दूध वाहन में कार्यरत लेबर को संघ परिसर में आने हेतु किसी भी कारण से यदि मना किया गया है तो उस वाहन चालक व लेबर कोई भी अन्य वितरक सह परिवहनकर्त्ता अपने वाहन में वितरण कार्य हेतु नहीं लगायेगा। इस शर्त का उल्लंघन करते पाये जाने पर वितरक सह परिवहनकर्त्ता की वितरक शिप बिना नोटिस दिये निरस्त करने हेतु पूर्ण रूपेण संघ स्वतंत्र होगा।
15. वितरक सह परिवहनकर्त्ता को उसके वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र बनवाना आवश्यक होगा, जो कि उनके द्वारा सत्यापित होगा, जिसे वाहन चालक एवं वाहन सहायक को डेयरी परिसर में प्रवेश के दौरान गले में लटकाना अनिवार्य होगा। पहचान पत्र का व्यय वितरक सह परिवहनकर्त्ता द्वारा वहन किया जायेगा। इसकी चेकिंग संघ की सुरक्षा शाखा द्वारा की जावेगी।
16. वितरक सह परिवहनकर्त्ता दुग्ध संघ से प्राप्त क्रेटस/केन्स आदि का पूर्ण लेखा–जोखा रखेगा तथा इसकी पूर्ण वापिसी हेतु जबावदार होगा, ऐसा न करने पर दुग्ध संघ के पास वितरक सह परिवहनकर्त्ता से क्रेटस/केन्स की राशि वर्तमान में खरीदी दर के मान से वसूल करेगा। खाली क्रेट्स शाम को 6:00 बजे तक जमा करने अनिवार्य होगा।
17. वितरक सह परिवहनकर्त्ता शासन के समस्त निर्धारित करों आदि के भुगतान हेतु पूर्ण रूपेण जबावदार व्यक्तिशः या कानूनी रूप से होगा तथा केन्द्र शासन/राज्य शासन के इस विषय पर समय–समय पर दिये गये निदशों के पालनार्थ पूर्ण रूपेण बाध्य होगा, ऐसा न करने की स्थिति में संबंधित समस्त कानूनी कार्यवाही वितरक के विरूद्ध की जा सकेगी।
18. वितरक सह परिवहनकर्त्ता दुग्ध संघ की सहमति के अधीन अपने निर्धारित मार्ग पर विक्रय केन्द्रों की संख्या बढोत्तरी हेतु प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करायेगा तथा विक्रय केन्द्र आवंटन की प्रक्रिया संघ द्वारा पूर्ण की जावेगी।
19. **लक्ष्य** :– वितरक सह परिवहनकर्त्ता को कार्य प्रारंभ करने की तिथि से ——— दिवस के भीतर ———— लीटर प्रतिदिन तथा ———दिवस की अवधि में ———————— लीटर प्रतिदिन का विक्रय करेंगे, यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो दुग्ध संघ सुपर स्टॉकिस्ट सेवाऐं समाप्त कर सकता है/वैकल्पिक व्यवस्था प्रभावशील करने पर विचार कर सकता है।
20. वितरक सह परिवहनकर्त्ता से जो भी अर्थ दण्ड की राशि वसूल किया जाना अनुबंध की शर्तो में प्रस्तावित है, की वसूली वितरक द्वारा संघ में रखे धनादेश के माध्यम से अथवा उनके द्वारा रखी जमानत राशि से की जावेगी।

21. वितरक सह परिवहनकर्त्ता को आवंटित कार्य किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा, ऐसा करते पाये जाने पर दुग्ध संघ बिना कोई नोटिस दिये कार्य आवंटन निरस्त कर सकेगा तथा उसकी जमानत राशि राजसात कर सकेगा।

22. समय–समय पर दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह परिवहनकर्त्ता को दुग्ध विक्रय प्रोत्साहन हेतु दिये गये निर्देशों का पालन करने हेतु वितरक सह परिवहनकर्त्ता बाध्य होगा एवं यदि दुग्ध संघ यह पाता है कि वितरक सह परिवहनकर्त्ता विक्रय प्रोत्साहन हेतु आवश्यक प्रयास नहीं कर रहा है या कर पा रहा है, या उसे दिये समय–समय पर दिशा निदेशों का पालन नहीं कर रहा है तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ अपने व्यवसायिक हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।

23. वितरक सह परिवहनकर्त्ता कार्य हेतु वितरक सह परिवहनकर्त्ता का इन्सुलेटेड वाहन स्वयं के नाम से पंजीकृत/अनुबंधित होना अनिवार्य है।

24. वितरक सह परिवहनकर्त्ता को वितरण कार्य आरंभ करने से पूर्व संघ कार्यालय को वाहन के पंजीकरण से संबंधित समस्त दस्तावेज का निरीक्षण संघ के सहायक महाप्रबंधक (विपणन), जबलपुर को कराना आवश्यक होगा तथा इन दस्तावेजों की एक छायाप्रति संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। वाहन कार्य पर लगाने से पूर्व उसका भौतिक सत्यापन संबंधित सहायक महाप्रबंधक (विपणन) से कराना होगा।

25. वितरक सह परिवहनकर्त्ता की संघ में निर्धारित वितरण कार्य हेतु लगी वाहन के पंजीकरण से संबंधित दस्तावेजों में परिवर्तन बिना संघ की अनुमति के नहीं किया जावेगा। यदि किसी कारणवश वितरक सह परिवहनकर्त्ता संध से अनुबंधित वाहन विक्रय करता है या उसे बदलना चाहता है तो इस हेतु संघ की अनुमति लेना आवश्यक है, तथा वाहन के विकय/बदलने के पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित् करना वितरक का दायित्व होगा।

26. यह कि वितरक सह परिवहनकर्त्ता अपने वाहन से दूध व दूध के पैकेट्स एवं क्रेट/केन भरकर उतनी मात्रा में ले जावेंगे जितनी शीट चालान में दर्शायी गई है। यदि निर्धारित मात्रा से अधिक वाहन में पाया जाता है तो निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी :–
    1. वितरण वाहन की चैकिंग के दौरान यदि एक से उन्नीस पैकेट तक अधिक पाये जाते हैं तो वितरक सह परिवहनकर्त्ता से दूध की कीमत के पाँच गुना राशि का अर्थदण्ड वसूल की जावेगी।
    2. एक क्रेट या उससे अधिक दूध/दूध पैकेट पाये जाने पर दूध की कीमत का 20 गुना राशि का अर्थदण्ड वितरक सह परिवहनकर्त्ता से वसूल किया जावेगा एवं वाहन लोडर को हटाया जायेगा। दैनिक दुग्ध विक्रय राशि के अतिरिक्त उपरोक्त वर्णित या अन्य कोई भी वसूली वितरक द्वारा संघ में जमा चैक बुक के माध्यम से करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा।

27. अनुबंधित अवधि में वर्तमान में निर्धारित मार्गो के दुग्ध विक्रय के संबंध में आवश्यकतानुसार संशोधन कर नये मार्ग बनाने का अधिकार संघ को होगा। अतः इस प्रकिया के अन्तर्गत वितरकों के मार्गो के वर्तमान दुग्ध विक्रय केन्द्रों को नये मार्ग में सम्मिलित किया जा सकेगा।

28. वितरक सह परिवहनकर्त्ता को शासन द्वारा जारी एफ.एस.एस.ए.आई./फूड लाईसेंस/अन्य वैधानिक दस्तावेज लेना अनिवार्य है जिसकी छायाप्रति संघ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

29. दूध की धनराशि नियमित रूप से दुग्ध संघ के खाते में जमा कराने के लिये दुग्ध संघ के पक्ष में अग्रिम रूप से भारतीय स्टेट बैंक अथवा आई.डी.बी.आई. अथवा पंजाब नेशनल बैंक के चेक उपलब्ध कराने होंगे, प्रत्येक दिन की प्रदायगी की मात्रा की धनराशि का चेक उसी दिन भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत किया जावेगा।

30. वितरक सह परिवहनकर्त्ता द्वारा धनादेश अनादरित करने पर एमपीसीडीएफ द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार पेनाल्टी की कार्यवाही दुग्ध संघ द्वारा की जावेगी जो कि वितरक सह परिवहनकर्त्ता पर बंधनकारी होगी।
31. डेयरी परिसर के अंदर वितरक सह परिवहनकर्त्ता के अधीन कार्यरत वाहन चालक द्वारा धूम्रपान, तम्बाखू, शराब आदि का सेवन एवं ऊँची आवाज में गाना बजाना आदि नहीं किया जायेगा साथ डेयरी परिसर में वाहन की रफ्तार अधिकतम 20 किमी. प्रति घण्टा रखी जावेगी।
32. वितरक सह परिवहनकर्त्ता अथवा उसके कार्यरत स्टाफ के कारण दुग्ध वितरण बाधित होता है तो संघ को हुए नुकसान की संपूर्ण भरपाई संबंधित वितरक सह परिवहनकर्त्ता से की जावेगी।
33. संघ में पूर्व से कार्यरत वितरक सह परिवहनकर्त्ता को निविदा में भाग लेने हेतु पूर्व से आवंटित कार्य से संबंधित यदि कोई लेना शेष निकलता है तो उसे संघ में जमा करने के बाद ही कार्य आदेश दिया जायेगा।
34. वितरक सह परिवहनकर्त्ता अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा संघ के कर्मचारियों/अधिकारियों/ संचालकों के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने पर संघ द्वारा निर्देशित कार्यवाही वितरक सह परिवहनकर्त्ता को करनी होगी। आदेशों का पालन न करने की दशा में किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ का रहेगा।
35. उपरोक्त शर्तो के पालन में तथा संघ द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों/आदेशों एवं सूचनाओं का द्वितीय पक्ष द्वारा पालन न करने की दशा में किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्षकार को रहेगा।
36. संघ द्वारा समय–समय पर जो भी निर्देश वितरक सह परिवहनकर्त्ता को पत्रों/परिपत्रों के माध्यम से दिये जावेगें, वे पत्र/परिपत्र अनुबंध के भाग माने जावेगें। जो वितरक सह परिवहनकर्त्ता को मान्य होंगे।
37. यह कि वितरक सह परिवहनकर्त्ता द्वारा जबलपुर डेयरी संयंत्र से ––––––––जोन में साँची दूध विक्रय हेतु –––––––– पैसे प्रतिलीटर पर कार्य करेंगे, जिसमें –––––––– पैसे प्रतिलीटर वितरक मार्जिन तथा रू.––––––– प्रतिलीटर जबलपुर डेयरी संयंत्र से –––––––––––– शहर में अंतिम विक्रय केन्द्र तक दूध वितरण करने तथा वहाँ से खाली क्रेट जबलपुर डेयरी संयंत्र तक लाने का परिवहन व्यय शामिल है।
38. अनुबंधित अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार वितरक सह परिवहनकर्त्ता की परिवहन दरों में वृद्धि/कमी अनुपातिक दर से की जावेगी। इसकी गणना मार्ग की दूरी/वाहन का प्रकार (टाटा ऐस/टाटा 407 औसतम 10 किमी., टाटा 608/709 आयसर औसतन 6 किमी.) के आधार पर की जावेगी।
39. यह अनुबंध दो वर्ष की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगा। यदि वितरक सह परिवहनकर्त्ता आगे भी कार्य जारी रखना चाहते हैं तो उनके अनुबंध समाप्ति के एक माह पूर्व लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होगा। कार्य आवंटन की अवधि बढाने या ना बढाने का निर्णय दुग्ध संघ द्वारा लिया जावेगा। वितरक सह परिवहनकर्त्ता का कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर एक–एक वर्ष कर आगामी तीन वर्ष की अवधि हेतु बढाया जा सकेगा।
40. यदि दोनों पक्षों के बीच इस अनुबंध के तहत् कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, मध्यस्थता (Arbitration) के माध्यम से विवाद के निराकरण हेतु (Arbitrator), अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी, जबलपुर दुग्ध संघ, जबलपुर के समक्ष रखा जायेगा, जिनका निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों को बंधनकारी एवं मान्य होगा।
41. वितरण वाहन में जी.पी.एस. सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा।
42. इस अनुबंध का न्यायायिक कार्यक्षेत्र जबलपुर शहर के न्यायालय में रहेगा।

अनुबंध की समस्त शर्ते दोनों पक्षों द्वारा पढ़ एवं समझ ली गयी हैं तथा दोनों पक्षों द्वारा पूरे होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिनांक ————————को अनुबंध हस्ताक्षरित किया है ताकि सनद रहे एवं समय काम आये।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जबलपुर दुग्ध संघ, जबलपुर

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

मेसर्स————————————————

गवाहः (1) प्रथम पक्ष
नामः—————————————
पताः—————————————
——————————————————

हस्ताक्षरः——————————

गवाहः (1) द्वितीय पक्ष
नामः—————————————
पताः—————————————
——————————————————

हस्ताक्षरः——————————

गवाहः (2) प्रथम पक्ष
नामः—————————————
पताः—————————————
——————————————————

हस्ताक्षरः——————————

गवाहः (1) द्वितीय पक्ष
नामः—————————————
पताः—————————————
——————————————————

हस्ताक्षरः——————————